राजस्व वाद संख्याः– 621/2013
धनकोर बनाम धनपति वगै0
निर्णय दिनांकः–13.02.2024

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन उप जिला कलक्टर, सूरजगढ जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी :– दयानंद रूयल, (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद सं.– 621/2013

1. श्रीमती धनकोर बेवा रामचन्द्र जाति प्रजापत निवासी सूरजगढ़ तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0

– वादिया

बनाम

1. श्रीमती धनपति स्त्री सी.एस. दहिया
2. श्रीमती कृष्णा देवी स्त्री खजान सिंह
   जति जाट, निवासीगण धनवापुर, तहसील व जिला गुड़गांव (हरियाणा)
3. मृतक श्रीमती भगवती स्त्री माला, जाति ब्राह्मण निवासी सूरजगढ़ तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनू।

   दौराने दावा देहान्त हो गया।
4. गोर्वधन
5. बरजरंगलाल

   पुत्रगण माला जाति ब्राह्मण निवासी सूरजगढ़ तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनू।
6. मृतक नारायण पुत्र माला, जाति ब्राह्मण निवासी सूरजगढ़ तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनू।

   दौराने दावा देहान्त हो गया।

   6/1. श्रीमती रेणुका स्त्री

   6/2. अर्जुन पुत्र

   6/3. कुमारी पुजा पुत्री

   स्व. नारायण जाति ब्राह्मण निवासी सूरजगढ़ तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनू।
7. पवन कुमार पुत्र माला, जाति ब्राह्मण निवासी सूरजगढ़ तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनू।
8. मु0 इन्द्रा पुत्री माला, जाति ब्राह्मण निवासी सूरजगढ़ तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनू।
9. रामपाल पुत्र निहालसिंह जाति अहिर, निवासीगण नखडोला, जिला गुड़गांव (हरियाण) हाल निवासी सूरजगढ़ तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनू।
10. मृतक सत्यवीर पुत्र निहालसिंह जाति अहिर निवासी नखडोला, जिला गुड़गांव (हरियाणा) हाल निवासी सूरजगढ़ तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनू।

    10/1. श्रीमती शर्मिला स्त्री

उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ

10/2. मु0 वैशाली पुत्री

10/3. दीपक पुत्र

स्व. सत्यवीर, जाति अहीर निवासीगण नखडोला, जिला गड़गांव (हरियाणा)

11. वेदप्रकाश पुत्र निहालसिंह जाति अहिर, निवासीगण नखडोला, जिला गुड़गांव (हरियाण) हाल निवासी सूरजगढ़ तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनू।

माला, जाति ब्राह्मण निवासी सूरजगढ़ तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनू।

दौराने दावा देहान्त हो गया।

12. केशुराम

13. जंतरम

पुत्रगण स्व. रामचन्द्र जाति प्रजापत निवासी सूरजगढ़ तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0

14. राजस्थान राज्य सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा

–:: निर्णय ::–

दिनांक –15.02.2024

दावा वादीया ने दिनांक 21.07.2006 को तत्कालिन उपखण्ड अधिकरी चिड़ावा के न्यायालय में मु.नं. 145/06 पेश किया। उक्त दावा में प्रतिवादी नं. 3 लगायत 8 ने अपना जबाब दावा व काउन्टर क्लेम वादी के खिलाफ पेश किया। वादीया का दावा दिनांक 19.12.2006 को अदम हाजीर, अदम पैरवी में खरिज कर दिया गया। बाद वाद खरिज न्यायालय ने प्रतिवादी नं. 3 लगायत 8 के प्रतिदावा पर सुनवाई हेतु नियत किया गया। प्रतिवादी नं. 3 लगायत 8 के प्रतिदावा का जबाब वादीया ने मय अधिवक्त उपस्थित होकर पेश किया। यह निर्णय प्रतिवादी नं. 3 लगायत 8 के प्रतिदावा पर किया जा रहा है।

प्रतिवादीगण नं. 3 लगायत 8 ने अपने प्रतिदावा में तथ्य अंकित किया की गत खसरा नं. 170 रकबा 13 बीघा 18 बीश्वा पुख्ता भूमि में से 5 बीघा 5 बीश्वा भूमि प्रतिवादी गण नं. 3 लगायत 8 के दादा किशनाराम ठीकाने के समय में कब्जा काश्त था। उक्त 5 बीघा 5 बीश्वा पर अन्य किसी का भी कब्जा काश्त नहीं था। किशनाराम ने अपनी कृषि भूमि 5 बीघा 5 बीश्वा का काश्त के बदले लगान अदा किया। इस प्रकार किशना पुत्र गीगा बाई ऑपरेश ऑफ लॉ अपनी उक्त कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार टीनेन्सी एक्ट के प्रभाव में आने पर हो गया। और तथ्य अंकित किये की गत खसरा नं. 170 रकबा 13 बीघा 18 बीश्वा पुख्ता ग्राम सूरजगढ़ तत्कालिन तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू में आधार वर्ष 2012 में खुद काश्त हनुमान पुत्र गणेश, जाति नाई व किशना पुत्र गीगा जाति कापड़ी व भूरा पुत्र घीसा जाति नाई दर्ज है। सम्वत 2012 में रिकार्डेड खातेदार किशना पुत्र गीगा जाति कापड़ी (ब्राह्मण) प्रतिवादीगण नं. 3 लगायत 8 का सगा दादा है। इसलिए पुराना खसरा नं. 170 में अंकित भूमि प्रतिवादीगण नं. 3 लगायत 8 की पैतृक खातेदारी की कृषि भूमि है। जिस पर अपने हिस्से पर प्रतिवादीगण नं. 3 लगायत 8 वर्तमान में भी उसी जगह पर जहां प्रतिवादीगण नं. 3 लगायत 8 के दादा व पिता काश्त करते थे उसी जगह पर अपने हिस्से की 5 बीघ 5 बीश्वा भूमि

उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ

पर काश्त करते आ रहे है। जिसे सैटलमैन्ट अधिकारीयों ने खसरा नं. 480 रकबा 1.33 है0 से अंकित किया है। उक्त सम्पूर्ण खसरा नं. को प्रतिवादी नं. 3 लगायत 8 निरंतर बिना किसी रुकावट व बाधा के काश्त करते आ रहे हैं तथा प्रतिवादीगण संख्या 3 लगायत 8 का ही कब्जा काश्त है। इस प्रकार प्रतिवादी नं. 3 लगायत 8 ने हाल खसरा नं. 480 रकबा 1.33 है0 सरहद कस्ब सूरजगढ स्थित का खातेदार काश्तकार घोषित करवाने की इस्तदुआ चाही। वादीया के जबाब /प्रतिदावा का अवलोकन किया। वादीया ने अपने प्रतिदावा के जबाब को साक्ष्य से साबित नहीं किया।

प्रतिवादीगण नं. 3 लगायत 8 ने अपने प्रतिदावा की ताईद में शपथ पत्र डी. डब्लू–1 बजरंगलाल का पेश किया। जिरह अधिवक्ता वादीया ने करना नहीं चाही। प्रतिवादीगण नं. 3 लगायत 8 ने अपने प्रतिदावा के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात को प्रदर्शीत करवाया।

बहस पक्ष कारान सूनी गई

दौराने बहस प्रतिवादीगण नं. 3 लगायत 8 के अधिवक्ता ने प्रतिदावा के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि जमीन गत खसरा नं. 170 रकबा 13 बीघा 18 बिश्वा जमीन गर रखसरा नं. 172 रकबा 13 बीघा 5 बीश्वा कस्बा सूरजगढ़ में स्थित थी। यह जमीन पहले तत्कालिन ठिकाना बिसाउ के तहत थी। यह मजीन मातुराम पुत्र शंकरलाल दर्जी निवासी सूरजगढ को माफी में दे रखी थी। इस प्रकार जमीन का माफी दार पहले उक्त मातुराम था। उक्त मातुराम से जमीन गत खसरा नं. 170 में से हाल खसरा नं. 480 रकबा 1.33 है0 वो कस्बा सूरजगढ को माह जेठ सम्वत 2005 में बातौर टीनेन्ट काश्त पर प्रतिवादीगण नं. 3 लगायत 8 के दादा किशनाराम ने ली थी। इस जमीन को उक्त सामय से बातौर टिनेन्ट काश्त किया व काश्त की एवज में लगान उक्त मातुराम को अदा किया व माफी खलसा होने के बाद इस जमीन का लगान उक्त किशनाराम व उसके लड़के मालाराम ने राजस्थान सरकार को अदा किया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 लागु हुआ तब भी प्रतिवादीगण नं. 3 लगायत 8 का दादा किशनाराम इस जमीन को बतोर टीनेन्ट काश्त करता था व काबिज था। इस कारण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की खारा 15 के प्रावधान के मुताबिक प्रतिवादीगण नं. 3 लगायत 8 के द्वारा किशनाराम इस जमीन का टीनेन्ट हुआ व रहा। उक्त गत खसरा नं. 170 में से दक्षिणी पश्चिमी कोने की जमीन रकबा 5 बीघा 5 बीश्वा जिसका हाल खसरा नं. 480 रकबा 1.33 है0 का टीनेन्ट प्रतिवादीगण नं. 3 लगायत 8 का दाद किशनाराम था व काबिज था। उक्त किशनाराम के देहान्त के बाद इस जमीन का टीनेन्ट उसका लड़का मालाराम हुआ वा काबिज रहा तथा इस जमीन का काबिज खातेदार काश्तकार रहा व उपयोग–उपभोग करता रहा। उक्त मालाराम का देहान्त सन 2006 में हो गया। उक्त मालाराम के वारिसान प्रतिवादीगण नं. 3 लगायत 8 हैं। मालाराम के देहांत हो जाने के बाद इस जमीन के टीनेन्टस प्रतिवादीगण नं. 3 लगायत 8 हैं व काबिज हैं। इस प्रकार जमीन खसरा नं. 480 रकबा 1. 33 है0 वाके कस्बा सूरजगढ़ की खातेदारी की घोषणा प्रतिवादीगण नं. 3 लगायत 8 के नाम से किये जाने का निवेदन किया।

बहस सूनी गई। पत्राावली का अवलोकन किया गया। दौराने दावा प्रतिवादीया नं. 3 भगवती देवी व प्रतिवादी वं. 6 नारायण व प्रतिवादी नं. 10 का देहान्त हो गया संसोधित टाईटल पत्रावली पर पेश हुआ। प्रतिवादीगण नं. 3 लगायत 8 के द्वारा अपने प्रतिदावा के साथ पेश प्रदर्शीत दस्तावेजात का परिक्षण किया गया। प्रतिवादी नं. 3 लगायत 8 के द्वारा प्रस्तुत प्रदर्शित दस्तावेज व साक्ष्य से प्रतिवादीगण नं. 3 लगायत 8 का प्रतिदावा न्यायालय डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है।

उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ

राजस्व वाद संख्याः– 621/2013
धनकोर बनाम धनपति वगै0
निर्णय दिनांकः–13.02.2024

–:: आदेश::–

जमीन हाल खसरा नम्बर 480 रकबा 1.33 है0 सरहद मौजा सूरजगढ़ में खातेदारों का नाम हजफ किया जा कर प्रतिवादीगण 4,5,7,8 को बहिस्सा 4/5 व प्रतिवादीगण संख्या 6/1 लगायत 6/3 बहिस्सा 1/5 जमीन का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदनूसार पर्चा डिकी मुर्तिब हो।

(दयानंद रुयल)
उपखण्ड अधिकारी,
पदेन उप जिला कलक्टर,
सूरजगढ़

उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़

यह निर्णय आज दिनांक 13.02.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर इस न्यायालय की मुद्रा से खुल्ले न्यायालय में सुनाया गया।

(दयानंद रुयल)
उपखण्ड अधिकारी,
पदेन उप जिला कलक्टर,
सूरजगढ़

उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़

राजस्व वाद संख्याः— 621 / 2013
धनकोर बनाम धनपति वगै0
निर्णय दिनांकः—13.02.2024

मूल वाद में (अन्तिम) डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन उप जिला कलक्टर, सूरजगढ जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी :— दयानंद रूयल,(आर.ए.एस.)

राजस्व वाद सं.—621 / 2013

निर्णय दिनांक :—13.02.2024

धनकोर **बनाम** धनपति वगै0

दावा बाबत विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा

प्रतिवादी की ओर से **श्री सुनिल शर्मा एड0** की उपस्थिती में इस वाद में आज तारीख **13.02.2024** को **दयानंद रूयल, उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ़** के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि—

"न्यायालय वाद वादीगण डिकी किया जाना न्यायोचित पाता है। जमीन हाल खसरा नम्बर 480 रकबा 1.33 है0 सरहद मौजा सूरजगढ़ में खातेदारों का नाम हजफ किया जा कर प्रतिवादीगण 4,5,7,8 को बहिस्सा 4 / 5 व प्रतिवादीगण संख्या 6 / 1 लगायत 6 / 3 बहिस्सा 1 / 5 जमीन का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार सूरजगढ़ को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जाते है। "

खर्चा पक्षकारान अपना—अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख **13.02.2024** को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(दयानंद रूयल)
उपखण्ड अधिकारी,
पदेन उप जिला कलक्टर,
सूरजगढ़

उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़